(कृपया इसे प्रकाशन में सम्मिलित ना करें)

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता, जलग्रहण विकास एवं भू–संरक्षण, रानीवाडा

(E-mail- Sanchore.iwmp@gmail.com)

क्रमांक– RGJSY/2021-22/Tender/455 दिनांक–09.09.2021

अल्पकालिन ई–निविदा सूचना 03/2021–22

राजस्थान के राज्यपाल महोदय की ओर से कार्यालय के अधीन ब्लॉक– सांचोर एवं चितलवाना की परियोजना राजीव गांधी जल संचय योजना अन्तर्गत मशीनरी द्वारा जलग्रहण क्षेत्र में निर्माण कार्य यथा– टांका मय आगोर मय डिफेक्ट लायबिलिटी अवधि के लिए जो कि निविदा प्रपत्र में अंकित है, के लिए उपयुक्त श्रेणी में राजस्थान के पंजीकृत (सार्वजनिक निर्माण विभाग, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जल संसाधन विभाग, राजस्थान वेट अधिनियम– 2003 एवं राजस्थान पंचायतीराज नियम–1996 अन्तर्गत पंजीकृत संवेदक) सक्षम श्रेणी के संवेदकों से निर्धारित प्रपत्र में ई–टेण्डरिंग प्रक्रिया हेतु ऑनलाईन रेट कान्ट्रेक्ट हेतु निविदायें आमन्त्रित की जाती है।

निविदा से संबंधित समस्त विवरण वेब साईट https://eproc.rajasthan.gov.in/ , https://sppp.rajasthan.gov.in/ एवं www.watershed.rajasthan.gov.in पर देखा जा सकता है। संवेदक अपने डिजीटल हस्ताक्षर के माध्यम से **वित्त (जीएण्डटी) विभाग राजस्थान के परिपत्र क्रमांक प. 6 (5) वित्त/साविलेनि/2018 दिनांक 27.04.2020** अनुसार संबंधित लेखाशीर्ष में ई–ग्रास पर राशि जमा कराकर चालान की प्रति https://eproc.rajasthan.gov.in/ पर अपलोड करें एवं वांछित आवश्यक दस्तावेज भी https://eproc.rajasthan.gov.in/ पर अपलोड करें।

निविदा क्रमांक	ब्लॉक का नाम	ग्राम पंचायत	कार्य का नाम	अनुमानित लागत (लाखों में)	धरोहर राशि	निविदा शुल्क रू.	प्रोससिंग फीस नामे MD RISL Jaipur	कार्य अवधि
1	सांचोर	कारोला	टांका मय आगोर (23)	36.15	वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांकः एफ.2 (1)वित्त/ जीएण्डटी– एसपीएफसी/ 2017 जयपुर दिनांक 23.12.2020 के अनुसार घोषणा पत्र संलग्न करना हैं। (प्रपत्र संलग्न हैं)	1000	1000	31.01.2022
2		धानता	टांका मय आगोर (53)	83.30		1000	1000	31.01.2022
3		डांगरा	टांका मय आगोर (35)	55.01		1000	1000	31.01.2022
4	चितलवाना	दूठवा	टांका मय आगोर (43)	67.58		1000	1000	31.01.2022
5		टांपी	टांका मय आगोर (57)	89.58		1000	1000	31.01.2022

निविदा प्रपत्र वेब साईट https://eproc.rajasthan.gov.in/ से डाउलोड एवं अपलोड करने की दिनॉक एवं समय	दिनॉक 10.09.2021 प्रातः 9.30 बजे से दिनॉक 20.09.2021 सांय 6.00 बजे तक।
निविदा शुल्क एवं प्रोससिंग फीस की राशि नीचे लिखे लेखाशीर्ष में जमा कराने की अंतिम दिनॉक व समय	दिनॉक 20.09.2021 सायं 6.00 बजे तक।
ऑनलाईन निविदा खोलने की दिनॉक एवं समय	दिनॉक 21.09.2021 प्रातः 11.00 बजे से।

निविदा शुल्क लेखाशीर्ष :–

0075–00–800–52–01 निविदा शुल्क की प्राप्तियां

धरोहर राशि :–

वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांकः एफ.2 (1)वित्त/ जीएण्डटी– एसपीएफसी/ 2017 जयपुर दिनांक 23.12.2020 के अनुसार घोषणा पत्र संलग्न करना आवश्यक हैं। घोषणा पत्र हेतु नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प का क्रय निविदा लगाने की अवधि दिनांक– 06.09.2021 से 17.09.2021 तक में किया हुआ होना आवश्यक हैं। (प्रपत्र संलग्न हैं)

प्रोससिंग फीस (RISL) लेखाशीर्ष :–

8658–00–102–16–01 सिविल विभाग

ACP (I.T. Cell)

MIA 13/09/21

(जेठाराम वर्मा)
अधिशाषी अभियंता
जलग्रहण विकास एवं भू–संरक्षण विभाग
रानीवाडा

क्रमांक– RGJSY/2021-22/Tender/456-460 दिनांक– 09.09.2021

प्रतिलिपि :–निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु–

01- श्रीमान् आयुक्त,जलग्रहण विकास एवं भू–संरक्षण विभाग पंत कृषि भवन राजस्थान, जयपुर को भेजकर निवेदन हैं कि कृपया उक्त निविदा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करवाने का श्रम करावें।

02- श्रीमान् जिला कलेक्टर महोदय/श्रीमान् मुख्य कार्यकारी अधिकारी महोदय, जालोर।

03- श्रीमान् निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग राजस्थान जयपुर को प्रेषित कर निवेदन है कि उक्त निविदा सूचना को आपके कार्यालय के नोटिस बोर्ड एवं वेबसाईट पर प्रकाशित करावें।

04- श्रीमान् परियोजना प्रबन्धक एवं अधीक्षण अभियंता वाटरशेड सेल कम डाटा सेन्टर जिला परिषद, जालोर।

05- नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा।

(जेठाराम वर्मा)
अधिशाषी अभियंता
जलग्रहण विकास एवं भू–संरक्षण विभाग
रानीवाडा

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता, जलग्रहण विकास एवं भू–संरक्षण, रानीवाडा

कमांक– RGJSY/2021-22/Tender/463 दिनांक– 09.09.2021

निदेशक,
निदेशालय,
सूचना एवं जन संपर्क विभाग (विज्ञापन),
सचिवालय, जयपुर

विषय–निविदा आमंत्रण सूचना के प्रकाशन बाबत्।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन हैं कि कार्यालय अधीन निविदा आमंत्रण सूचना को प्रकाशित किया जाना हैं, कृपया अधिकतम एक राज्य स्तरीय दैनिक समाचार पत्र के जोधपुर संभाग स्तरीय संस्करण में एवं एक मुख्य स्थानीय दैनिक समाचार पत्र में नियमानुसार न्यूनतम जगह अविलम्ब प्रकाशित कराने की व्यवस्था करावे ।

(जेठाराम वर्मा)
अधिशाषी अभियन्ता
जलग्रहण विकास एवं भू संरक्षण
रानीवाडा (जालोर)

संलग्न–

1. अल्पकालीन ई–निविदा सूचना –03/2021–22 (सात प्रतियों में)
2. अल्पकालीन ई–निविदा सूचना –03/2021–22 (सोफ्ट कॉपी सी.डी.में)

कमांक : RGJSY/2021-22/Tender/464-467 दिनांक– 09.09.2021

प्रतिलिपी सूचनार्थ–

1. श्रीमान् आयुक्त महोदय, आयुक्तालय, जलग्रहण विकास एवं भू संरक्षण, जयपुर।
2. श्रीमान् जिला कलेक्टर महोदय, जालोर।
3. श्रीमान् मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, जालोर।
4. श्रीमान् अधीक्षण अभियंता एवं परियोजना प्रबंधक, वाटरशेड सेल कम डाटा सेंटर, जिला परिषद, जालोर।

(जेठाराम वर्मा)
अधिशाषी अभियन्ता
जलग्रहण विकास एवं भू संरक्षण
रानीवाडा (जालोर)

(समाचार पत्रों में प्रकाशन बाबत)

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता, जलग्रहण विकास एवं भू–संरक्षण, रानीवाडा

क्रमांक : RGJSY/2021-22/Tender/461 दिनांक– 09.09.2021

अल्पकालिन ई–निविदा सूचना संख्या : 03/2021–22

राजस्थान के राज्यपाल महोदय की ओर से कार्यालय के अधीन ब्लॉक– सांचोर एवं चितलवाना की परियोजना राजीव गांधी जल संचय योजना अन्तर्गत मशीनरी द्वारा जलग्रहण क्षेत्र में निर्माण कार्य यथा– टांका मय आगोर मय डिफेक्ट लायबिलिटी अवधि के लिए जो कि निविदा प्रपत्र में अंकित है, के लिए उपयुक्त श्रेणी में राजस्थान के पंजीकृत (सार्वजनिक निर्माण विभाग, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जल संसाधन विभाग, राजस्थान वेट अधिनियम– 2003 एवं राजस्थान पंचायतीराज नियम–1996 अन्तर्गत पंजीकृत संवेदक) सक्षम श्रेणी के संवेदकों से निर्धारित प्रपत्र में ई–टेण्डरिंग प्रकिया हेतु ऑनलाईन रेट कान्ट्रेक्ट हेतु निविदायें आमन्त्रित की जाती है।

निविदा से संबंधित समस्त विवरण वेब साईट https://eproc.rajasthan.gov.in/ , https://sppp.rajasthan.gov.in/ एवं www.watershed.rajasthan.gov.in पर देखा जा सकता है। संवेदक अपने डिजीटल हस्ताक्षर के माध्यम से **वित्त (जीएण्डटी) विभाग राजस्थान के परिपत्र कमांक प. 6 (5) वित्त/साविलेनि/2018 दिनांक 27.04.2020** अनुसार संबंधित लेखाशीर्ष में ई–ग्रास पर राशि जमा कराकर चालान की प्रति एवं धरोहर राशि हेतु **वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांकः एफ.2 (1)वित्त/ जीएण्डटी– एसपीएफसी/ 2017 जयपुर दिनांक 23.12.2020 के अनुसार घोषणा पत्र** https://eproc.rajasthan.gov.in/ पर अपलोड करें एवं वांछित आवश्यक दस्तावेज भी https://eproc.rajasthan.gov.in/ पर अपलोड करें।

ऑनलाईन निविदा भरने की प्रक्रिया संवेदक द्वारा डिजीटल हस्ताक्षर के माध्यम से दिनांक 10.09.2021 को प्रातः 9:30 बजे से दिनांक 20.09.2021 को सांय 06:00 बजे तक की जा सकेगी।

NIB CODE- WSC2122A0370

निविदा संख्या	यू.बी.एन. नम्बर	निविदा संख्या	यू.बी.एन. नम्बर
1	WSC2122WSOB00731	4	WSC2122WSOB00734
2	WSC2122WSOB00732	5	WSC2122WSOB00735
3	WSC2122WSOB00733	—	—

(जेठाराम वर्मा)
अधिशाषी अभियन्ता,
ज.ग्र.वि.एवं.भू–स._रानीवाडा
जिला– जालोर

कृपया इसे प्रकाशन में सम्मिलित ना करें ।

क्रमांक : RGJSY/2021-22/Tender/462 दिनॉक– 09.09.2021

प्रतिलिपि वास्ते आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1– श्रीमान् निदेशक, निदेशालय सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग (विज्ञापन), शासन सचिवालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख हैं कि उक्त निविदा सूचना को अधिकतम एक राज्य स्तरीय दैनिक समाचार पत्र में जोधपुर संभाग स्तरीय संस्करण में एवं एक मुख्य स्थानीय दैनिक समाचार पत्र में नियमानुसार न्यूनतम जगह में अविलम्ब प्रकाशित कराये जाने की कार्यवाही करावें।

(जेठाराम वर्मा)
अधिशाषी अभियन्ता,
ज.ग्र.वि.एवं.भू–स._रानीवाडा
जिला– जालोर

निविदा शर्ते

1. निविदा की समस्त कार्यवाही ऑनलाईन होगी। निविदा प्रपत्रों को https://eproc.rajasthan.gov.in/ से डाउनलोड किया जा सकता हैं। इन निविदाओं में भाग लेने वाले संवेदक निविदा को इलेक्ट्रोनिक फोरमेट में https://eproc.rajasthan.gov.in/ पर अपलोड करावें। हार्ड कॉपी कार्यालय में जमा नही करवानी हैं।
2. निविदाऐं वित्तीय एवं तकनीकी दो बिडों में ऑनलाईन आमंत्रित की गई हैं जिन्हे ऑनलाईन तकनीकी एवं वित्तीय बीड में अलग–अलग खोली जावेगी। निविदा प्रपत्र इलेक्ट्रोनिक फोरमेट में https://eproc.rajasthan.gov.in/ पर दिनांक 20.09.2021 सांय 06:00 बजे तक अपलोड किये जा सकते हैं एवं प्राप्त तकनिकी एवं वित्तीय निविदाएं इलेक्ट्रोनिक फोरमेट में https://eproc.rajasthan.gov.in/ पर दिनांक 21.09.2021 प्रातः 11:00 से खोली जाएगी। तकनिकी निविदा स्वीकृत होने के उपरान्त ही वित्तीय निविदा खोली जाएगी। निविदा खोलने की तिथी को किसी कारणवश यदि समस्त निविदाएं नही खोली जा सकती हैं तो अगले कार्यदिवस में शेष निविदाएं खोलने का कार्य जारी रखा जाएगा।
3. निविदा शुल्क एवं प्रोसेसिंग फीस की राशि को **वित्त (जीएण्डटी) विभाग राजस्थान के परिपत्र कमांक प. 6 (5) वित्त/साविलेनि/2018 दिनांक 27.04.2020** (प्रति संलग्न हैं) अनुसार संबंधित लेखाशीर्ष में ई–ग्रास पर चालान द्वारा जमा करा कर ई–ग्रास चालान की प्रति को https://eproc.rajasthan.gov.in/ पर अन्य वांछित दस्तावेजो के साथ अपलोड करना अनिवार्य होगा एवं **धरोहर राशि हेतु** वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांकः एफ.2 (1)वित्त/ जीएण्डटी– एसपीएफसी/ 2017 जयपुर दिनांक 23.12.2020 के अनुसार घोषणा पत्र संलग्न करना आवश्यक हैं। घोषणा पत्र हेतु नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प का क्रय निविदा लगाने की अवधि दिनांक– 10.09.2021 से 20.09.2021 तक में किया हुआ होना आवश्यक हैं। (प्रपत्र संलग्न हैं)
4. ई–ग्रास पर चालान द्वारा राशि जमा कराने हेतु लेखाशीर्ष का विवरण निम्नानुसार हैं–
   - अ. निविदा शुल्क लेखाशीर्ष :–
     0075–00–800–52–01 निविदा शुल्क की प्राप्तियां
   - ब. **धरोहर राशि :–**
     वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांकः एफ.2 (1)वित्त/ जीएण्डटी– एसपीएफसी/ 2017 जयपुर दिनांक 23.12.2020 के अनुसार घोषणा पत्र संलग्न करना आवश्यक हैं। घोषणा पत्र हेतु नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प का क्रय निविदा लगाने की अवधि दिनांक– 10.09.2021 से 20.09.2021 तक में किया हुआ होना आवश्यक हैं। (प्रपत्र संलग्न हैं)
   - स. प्रोससिंग फीस (RISL) लेखाशीर्ष :–
     8658–00–102–16–01 सिविल विभाग
5. **निविदा में तकनीकी बिड के साथ संलग्न किये जाने वाले दस्तावेज–**
   - A. ई–ग्रास पर जमा कराई गई राशि के चालान की प्रति संलग्न करना आवश्यक होगा।
   - B. **धरोहर राशि** :– वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांकः एफ.2 (1)वित्त/ जीएण्डटी– एसपीएफसी/ 2017 जयपुर दिनांक 23.12.2020 के अनुसार घोषणा पत्र संलग्न करना आवश्यक हैं। घोषणा पत्र हेतु नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प का क्रय निविदा लगाने की अवधि दिनांक– 10.09.2021 से 20.09.2021 तक में किया हुआ होना आवश्यक हैं। (प्रपत्र संलग्न हैं) संवेदक पंजीयन प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न करना आवश्यक होगा। ।
   - C. संवेदक पंजीयन प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न करना आवश्यक होगा।
   - D. जी.एस.टी. नम्बर पंजीयन की प्रति संलग्न करना आवश्यक होगा।
   - E. पेन कार्ड की प्रति संलग्न करना आवश्यक होगा।
   - F. फर्म के पास निर्माण कार्यों को करवाने हेतु दक्ष अभियंता के होने का प्रमाण पत्र मय अभियंता की फर्म के साथ किये गए अनुबंध की प्रति (रू. 50 के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर) संलग्न करना आवश्यक होगा। ।
   - G. बिड डॉक्यूमेन्ट (Tender bid document) को निविदा प्रपत्रों के साथ निविदा शर्तों का प्रपत्र मय हस्ताक्षर एवं मोहर के साथ पूर्ण कर अपलोड करना अनिवार्य होगा।
   - H. संवेदक के पास स्वंय/फर्म के नाम पंजीकृत आवश्यक मशीनरीज के पंजीकरण का प्रमाण अथवा कार्य निष्पादन के लिए आवश्यक मशीनरीज नही हैं और फर्म/संवेदक अन्यत्र से व्यवस्था करते हैं

(जेठाराम वर्मा)
अधिशाषी अभियन्ता
जलग्रहण विकास एवं भू संरक्षण
रानीवाड़ा जिला–जालोर

तो जो फर्म/संवेदक मशीनरीज़ उपलब्ध कराएगा उसका सम्बन्धित मशीनरीज का पंजीकरण का प्रमाण पत्र एवं इसके साथ रू. 100 का नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर यह हलफनामा देना होगा कि उक्त मशीनरीज कार्य आवंटन होने पर फर्म/संवेदक की और से उपलब्ध करवाई जाएगी, संलग्न करना आवश्यक होगा।

I. निविदा हेतु पात्र संवेदकों का पंजीयन प्रमाण–पत्र की प्रति संलग्न करना आवश्यक होगा। निम्न श्रेणी के अनुसार संवेदक पात्र होंगे–
   रूपये 15.00 लाख तक डी श्रेणी संवेदक
   रूपये 50.00 लाख तक सी श्रेणी संवेदक
   रूपये 150.00 लाख तक बी श्रेणी संवेदक
   रूपये 300.00 लाख तक ए श्रेणी संवेदक
   किसी भी सीमा तक एए श्रेणी संवेदक।

J. निविदादाता द्वार इस आश्य का शपथ पत्र 50 रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर संलग्न किया जायेगा कि उसका पंजीयन सम्बन्धित विभाग द्वारा निरस्त/ब्लेक लिस्टेड/डीबार नही किया हुआ हैं, संलग्न करना आवश्यक होगा।

6. सफल संवेदक को उसके दक्ष अभियंता द्वारा कार्य की प्रगति को विभागीय एप्लीकेशन पर कार्य प्रारम्भ, कार्य की प्रगति 25 प्रतिशत, 50 प्रतिशत, 75 प्रतिशत एवं कार्य पूर्ण होने पर शत प्रतिशत की जानकारी अपलोड किया जाना आवश्यक होगा साथ ही उक्त सभी चरणों के फोटोग्राफ नोटकेम एप द्वारा मय लेट–लॉन्ग, कार्य का नाम एवं दिनांक के साथ के कैप्चर कर प्रत्येक कार्य की 1 प्रति कलर फोटोग्राफ सम्बन्धित साईट ईन्चार्ज (कनिष्ठ अभियंता) को उपलब्ध करवाएगा। इस हेतु विभाग द्वारा किसी भी प्रकार का अतिरिक्त भुगतान नही किया जावेगा।
7. साईट का विभागीय तकनिकी अधिकारी/अभियंताओं द्वारा समय समय पर विजीट करने जाने पर सम्बन्धित संवेदक द्वारा वाहन उपलब्ध करवाया जाएगा जिस हेतु किसी भी प्रकार का अतिरिक्त भुगतान नही किया जावेगा।
8. कार्य पूर्ण होने के उपरान्त निविदादाता द्वारा ग्राम स्तरीय समिति से भुगतान अनुशंषा का प्रमाण पत्र तथा लाभार्थी कार्य संतुष्टि प्रमाण पत्र बिल के साथ संलग्न कर प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
9. संवेदक को कार्य की गुणवत्ता एवं मापदण्ड सुनिश्चित कराने होगी एवं आवश्यकता होने पर इसकी जांच आदि पर होने वाला व्यय संवेदक द्वारा वहन किया जावेगा।
10. कार्य आंशिक रूप से पूर्ण होने पर किसी भी प्रकार का कोई आंशिक भुगतान नही किया जावेगा। जैसे– टांका पूर्ण रूप से बनाये जाने पर ही भुगतान किया जावेगा, न की अधुरे बने हुए भाग का।
11. तकनीकी बिड में उपरोक्त समस्त वांछित दस्तावेजों की प्रतियों को https://eproc.rajasthan.gov.in/ पर अपलोड किया जाना आवश्यक होगा, उपरोक्त दस्तावेज तकनीकी बिड में ऑनलाईन पाये जाने पर ही वित्तीय बिड खोली जावेगी। प्रोसेसिंग फीस एवं निविदा शुल्क नगद अथवा अन्य के रूप में स्वीकार नही की जावेगी।
12. जलग्रहण क्षेत्र निविदा की विधि मान्यता, कार्यादेश जारी करने की दिनांक से निर्धारित अवधि तक पूर्ण करना होगा।
13. कार्य सामग्री सहित पूर्ण आईटम किया जाना हैं इस हेतु SBD (Stand bid document) में सम्मिलित आईटम में सामग्री की दरों में बढोतरी हेतु अतिरिक्त राशि देय नही होगी। नियमानुसार जी.एस.टी./ इन्कम टैक्स/रॉयल्टी व लेबर सैस की कटौती कर ही भुगतान किया जावेगा।
14. निर्माण कार्य निर्धारित निविदा अवधि तक Technical Specification के अनुसार किया जावेगा। कार्यकारी ऐजेन्सी/ तकनीकी अधिकारी को आवश्यकता पडने पर निविदादाता द्वारा सामग्री के आपूर्ति बिल के साथ सामग्री की अनुमोदित लेबोरेटरी टेस्ट रिपॉर्ट संलग्न करनी होगी। मानक आईटम आई.एस.आई. मार्का का होना चाहिये। वि. निर्देश (Specification) से निम्न स्तर की सामग्री पाये जाने पर कार्य का भुगतान नही किया जावेगा तथा Executive Engineer, WD&SC, Raniwara का निर्णय अंतिम व मान्य होगा।

(जेठाराम वर्मा)
अधिशाषी अभियन्ता
जलग्रहण विकास एवं भू संरक्षण
रानीवाड़ा जिला–जालोर

15. राजस्थान सरकार के ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग के पत्र कमांकः एफ.4 (82)पंरावि/पीसी/बीएसआर/निविदा/1584 दिनांक 11.08.2015 के स्थायी 17/2015 के अनुसार–

    1. यदि कोई बोलीदाता "जी" अनुसूची दर से 10 प्रतिशत की दर से कम दर प्रस्तुत करता हैं तो बोलीदाता को 10 प्रतिशत कम दर से प्रस्तुत दर के बराबर अतिरिक्त कार्य सम्पादन प्रतिभूति प्रस्तुत करनी होगी। यह राशि अनुबन्ध सम्पादन के समय जमा करानी हागी व कार्य पूर्ण हाने के पश्चात् वापस लौटाई जावेगी।
    2. न्यूनतम बोलीदाता को दर स्वीकार करने का पत्र जारी किया जावेगा। इस पत्र जारी करने की दिनांक से 7 दिवस में फिक्स डिपाजिट रसीद के रूप में जमा करायी जा सकेगी। इन प्रतिभूतियों की वैधता निर्धारित कार्य पूर्ण होने की वास्तविक तिथि में कार्य पूर्ण नही कराया जाता हैं तो निविदा के साथ प्राप्त की गई धरोहर राशि जब्त कर ली जावेगी। यदि कार्य संतोषजनक रूप से पूर्ण नही किया जाता हैं तो प्रतिभूति भी जब्त कर ली जायेगी।

16. कार्य का कार्यादेश एवं भुगतान उपलब्ध राशि अनुसार किया जावेगा। फर्म/संवेदक अपनी संविदा को या उसके किसी सारवान भाग को किसी अन्य ऐजेन्सी को नही सौंपेगा या उप–भाडे (सबलेट) पर नही देगा।
17. जिस फर्म की दरें स्वीकृत की जायेगी, उसे नॉन ज्युडिशियल स्टाम्प पेपर पर अनुबन्ध करना होगा जिसका व्यय सम्बन्धित फर्म को वहन करना होगा एवं फर्म को धरोहर राशि के अतिरिक्त कार्य सम्पादन प्रतिभुति राशि (Performance Security) दर स्वीकार करने का पत्र जारी करने की दिनांक से 7 दिवस के अन्दर सावधी जमा (एफ.डी.आर.) के रूप में जमा करवानी होगी।
18. निविदा सूचना एव निविदा पत्र के साथ संलग्न निविदा शर्तों की पालना नही करने पर पूर्व में जमा धरोहर राशि एवं प्रतिभूति राशि जब्त कर ली जायेगी तथा भविष्य में इस विभाग में निविदाओं में भाग लेने हेतु डीबार/ब्लेक लिस्टेड कर दिया जायेगा।
19. यदि कार्य में किसी भी प्रकार की कोई क्षति होती हैं तो उसकी समस्त जिम्मेदारी संवेदक की होगी जिसका कोई अतिरिक्त भुगतान संवेदक को नही किया जावेगा।
20. विभाग द्वारा ले–आउट एवं अन्य किसी भी बैठक में समय–समय पर बुलाये जाने पर संवेदक को स्वंय उपस्थित होना होगा। उसके प्रतिनिधि को मान्य नही माना जावेगा।
21. निर्माण कार्य में नियमानुसार पानी से तराई व मिट्टी को कोमपेक्शन हेतु टेंकर/रोड रोलर इत्यादि आवश्यक मशीनरी उपलब्ध कराकर कार्य कराया जाना होगा जिसका अतिरिक्त भुगतान देय नही होगा।
22. धरोहर राशि/ प्रतिभूति राशि पर विभाग द्वारा ब्याज का भुगतान नही किया जावेगा।
23. प्रतिभूति राशि को पूर्ण या आंशिक रूप से निम्नलिखित मामलों में समपहृत (जब्त) किया जावेगा–

    A. जब निविदा/संविदा की शर्तों का उल्लंघन किया गया हो।
    B. जब निविदादाता सम्पूर्ण कार्य संतोषजनक ढंग से करने में असफल रहा हो।

19. निविदा सूचना में वर्णित सामग्री की मात्रा अनुमानित हैं। मात्रा में कमी अथवा वृद्धि हो सकती हैं। किसी भी कार्य के मौके स्थिति के अनुसार SBD (Standard Bid Document) में कोई भी परिवर्तन/संशोधन करने के लिए विभाग अपने पास पूर्ण अधिकार रखता हैं।
20. निर्माण सामग्री सप्लाई/ निर्माण कार्य के दौरान जान माल के नुकसान की जिम्मेदारी स्वंय संवेदक की होगी।
21. निविदा राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2013 के अनुसार उपापन प्रक्रिया के दौरान उपापन संस्था के निर्णय, कार्यवाही या लोप, इस अधिनियम या इसके अधीन जारी नियमों के उल्लंघन के सम्बन्ध में प्रथम अपील अधिकारी अधीक्षण अभियंता एवं परियोजना प्रबंधक, वाटरशेड सेल कम डाटा सेंटर, जिला परिषद, जालोर तथा द्वितीय अपील अधिकारी प्रशासनिक विभाग होगा।
22. किसी भी निविदा को बिना कारण बताये स्वीकृत/अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार विभाग के पास सुरक्षित रहेगा।
23. कार्यों के कियान्वयन हेतु ले–आउट की जिम्मेदारी संवेदक की होगी जिसके लिए निविदा प्रपत्र में दक्ष अभियंता रखने की शर्त रखी गई हैं। जिसका विभाग द्वारा अतिरिक्त भुगतान नही किया जावेगा।

(जेठाराम वर्मा)
अधिशाषी अभियन्ता
जलग्रहण विकास एवं भू संरक्षण
रानीवाड़ा जिला–जालोर

24. कार्यों के सुचारू क्रियान्वयन हेतु स्थानीय समुदाय से समन्वय व सामंजस्य स्थापित करने की जिम्मेदारी संवेदक की रहेगी। भुगतान हेतु संवेदक को कार्य बिल के साथ भुगतान अभिशंषा प्रपत्र पर सम्बन्धित क्षेत्र के जलग्रहण उपसमिति के पदाधिकारी एवं अन्य अधिकारी के हस्ताक्षर करवा कर प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा भुगतान नही किया जावेगा।
25. कृषि भूमि में लाभार्थी से अंशदान प्राप्त करने की जिम्मेदारी संवेदक की होगी। संवेदक को कार्य की लागत का विभागीय मापदण्डो के अनुसार अंशदान कार्यालय में जमा करवाना होगा अन्यथा संबंधित बिल में से अंशदान राशि काटकर भुगतान किया जावेगा तथा अंशदान राशि को सम्बन्धित कोष के खाते में जमा कराया जाएगा।
26. निविदा आवेदन हेतु निविदा की विस्तृत शर्तें कार्य दिवस में कार्यालय में देखी जा सकती हैं।
27. आर.टी.पी.पी. एक्ट 2012 व आर.टी.पी.पी. रूल 2013 की समस्त शर्तें लागु होगी।
28. कार्य राजीव गांधी जल संचय योजना में स्वीकृत जलग्रहण क्षेत्र में एक साथ प्रारम्भ किया जाना हैं। इस हेतु संवेदक को प्रयाप्त मशीनरी, स्टाफ एवं दक्ष अभियंता उपलब्ध कराना होगा।
29. एक कार्य पूर्णतया ड्रसिंग/कॉमपेक्शन पूर्ण कर ही अगला कार्य प्रारम्भ किया जावेगा।
30. कार्य नक्शे में माईको जलग्रहण क्षेत्र की Ridge Line में आ रहे खेतों में किया जावेगा। जलग्रहण क्षेत्र अन्तर्गत स्वीकृत क्षेत्र से बाहर किये गए कार्य का भुगतान देय नही होगा।
31. समस्त कार्य विभाग की टेक्नीकल गाईडलाईन के अनुसार ही किया जावेगा।
32. चिनाई में 23 सेमी (9 इंच) मोटाई के पत्थर ही प्रयुक्त किये जावेंगे।
33. कार्य के दौरान किसी भी प्रकार की कमी होने पर कार्य को रूकवान/टेण्डर निरस्त करने के पूर्ण अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता के पास होगा।
34. किये गये कार्य का Maintenance दो वर्षाकाल तक संरक्षित रखे जाने की संवेदक की जिम्मेदारी होगी, इस दौरान कार्य में किसी भी प्रकार की क्षति/चोरी होने पर कार्य तुरन्त संवेदक को दुरूस्त करना होगा। संवेदक द्वारा दुरूस्त नही करने पर विभाग द्वारा अपने स्तर पर कार्य दुरूस्त कराये जाकर संवेदक की प्रतिभूति राशि से कटौती कर ली जावेगी।
35. वित्त विभाग के परिवत्रः प–1(1)वित्त/GF&AR/2007 दिनांक 21.04.2010 परिपत्र संख्या 07/2010 के तहत सामग्री की दरें सभी प्रकार के टैक्स, रॉयल्टी इत्यादि सहित होगी। सभी प्रकार के टैक्स तथा जी.एस. टी., रॉयल्टी अन्य किसी प्रकार का सम्बन्धित टैक्स इत्यादि को राजकीय कोष में नियमानुसार जमा करवाने की समस्त जिम्मेदारी निविदादाता की होगी।
36. मृदा कार्यों के लिए किये जाने वाले घनत्व जांच के आवश्यक उपकरण कार्य स्थल पर संवेदक को रखना अनिवार्य होगा।
37. कार्य निष्पादन हेतु श्रीमान् आयुक्त महोदय द्वारा उनके पत्रांकः एफ 20 (229)आजभूसं/पीएफसी/2018/5293–408 दिनांक 12.02.2018 में जारी शड्यूल ऑफ पॉवर लागु होगी।
38. समस्त प्रकार के विवाद की स्थिति में न्यायक्षेत्र रानीवाडा, जिला जालोर होगा।
39. निर्माण कार्य में विलम्ब के लिए शास्ति निम्नानुसार आरोपित करने का प्रावधान–

पूर्ण निश्चित अवधि में समयावधि	1/4 अवधि	1/2 अवधि	3/4 अवधि	पूर्ण अवधि
न्यूनतम कार्य सम्पादन (लागत अनुसार)	1/8 लागत	1/3 लागत	3/4 लागत	पूर्ण लागत
विलम्ब के लिए देय शास्ति की दर	विहित समय अवधि की 1/4 अवधि तक का विलम्ब अनिष्पादित रहे कार्य का (लागत का) 2.5 प्रतिशत	विहित समय अवधि की 1/4 अवधि से अधिक किन्तु 1/2 तक का विलम्ब अनिष्पादित रहे कार्य का (लागत का) 5 प्रतिशत	विहित समय अवधि की 1/2 अवधि से अधिक किन्तु 3/4 अवधि तक का विलम्ब अनिष्पादित रहे कार्य का (लागत का) 7.5 प्रतिशत	विहित समय अवधि की 3/4 अवधि से अधिक विलम्ब अनिष्पादित रहे कार्य का (लागत का) 10 प्रतिशत

उदाहरणार्थ– यदि किसी निर्माण कार्य कर स्वीकृत राशि (पूर्ण लागत) 24.00 लाख रूपये हैं एवं कार्य सम्पादित करने की पूर्ण अवधि 8 माह हैं तो उक्त कार्य की 1/4 अवधि का तात्पर्य 2 माह एवं न्यूनतम

(जेठाराम वर्मा)
अधिशाषी अभियन्ता
जलग्रहण विकास एवं भू संरक्षण
रानीवाड़ा जिला–जालोर

कार्य सम्पादन (लागत अनुसार) 1/8 भाग पूर्ण होना चाहिये अर्थात 3.00 लाख रूपये का होना चाहिये। यदि उक्त कार्य का निर्धारित अवधि में राशि रूपये 2.00 लाख का ही खर्चा किया गया हैं तो शेष अन्तर राशि रूपये 1.00 लाख पर 2.5 प्रतिशत शास्ति वसूल की जायेगी। इस प्रकार की लगाई गई शास्ति को अगली कार्य अवधि चरण में आनुपातिक कार्य पूर्ण होने पर उसका पुनर्भरण हो सकेगा।

मैं निविदा सूचना एवं उपरोक्त प्रपत्र में वर्णित सभी शर्तों की पालना हेतु सहमत हूं।

हस्ताक्षर निविदादाता मय मोहर

अधिशाषी अभियंता,
जलग्रहण विकास एवं भू–संरक्षण,
रानीवाडा

(जेठाराम वर्मा)
अधिशाषी अभियन्ता
जलग्रहण विकास एवं भू संरक्षण
रानीवाड़ा जिला–जालोर